रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 20—नवम्बर 26, 2004 (कार्तिक 29, 1926)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 20—NOVEMBER 26, 2004 (KARTIKA 29, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

विश्व व्यापार केन्द्र, केन्द्र-1

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुंबई-400005, दिनांक 15 सितंबर 2004

बै.पविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 42/16.01.129/2004-05.--भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित बैंक को उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से निकाल देने का निदेश देता है :

"दि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड"

उषा थोरात
कार्यपालक निदेशक

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय

कोलकाता, दिनांक 15 अक्तूबर 2004

सं. प्रका/औसं/फा-49/1981 - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40)की धारा 12 की उप-धारा (2) 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः(1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील), (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"17 अपीलः(1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दंड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

परंतु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलंबन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड/ निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु :

(i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दंड है और विलियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जाँच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की जाँच की जानी चाहिए और उसके पश्चात जाँच के रिकार्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जाँच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर असका निपटान करेगाः

परंतु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) नब्बे दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(प्रबीर मौलिक)
महाप्रबंधक(का.प्र./सू.पौ./विपणन)

पाद टिप्पणीः इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थेः

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	विधिक/1/87	19.08.87
2.	विधिक/2/87	14.09.87
3.	विधिक/3/87	02.11.87
4.	विधिक/4/87	02.11.87
5.	विधिक/5/87	13.11.87
6.	विधिक/6/87	20.11.87
7.	विधिक/2/88	07.10.88
8.	विधिक/2/89	30.10.89
9.	विधिक/2/90	21.06.90
10.	विधिक/3/90	22.06.90
11.	प्रका/विधिक/एक्स-29/0646	18.08.92
12.	प्रका/विधिक/334/0647	18.08.92
13.	प्रका/विधिक/0550	17.08.93
14.	प्रका/विधिक/1500	16.02.94
15.	प्रका/विधिक/2614	11.01.95
16.	प्रका/विधिक/2658	19.01.95
17.	प्रका/विधिक/0279	15.06.95
18.	प्रका/प्रशा./5/1656	06.11.96
19.	प्रका/विधिक/0938	25.11.97
20.	प्रका/विधिक/1236	15.03.97
21.	प्रका/विधिक/1273	04.03.99
22.	प्रका/विधिक/949	10.12.99
23.	प्रशा./5/3822	29.02.2000
24.	प्रशा./6/1992	26.06.2000
25.	प्रका/विधिक/0576	05.07.2000
26.	प्रशा./3107	07.08.2002
27.	प्रशा./5/4370	12.04.2003

प्रबीर मौलिक
महाप्रबंधक (का. प्र./सू. पौ./विपणन)

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय

कार्मिक विभाग

कोलकाता-700 001, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं. ओडीएआर/1/2004। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पुनः संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : (1) ये विनियम यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहे जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में विनियम 17 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

" 17. अपील : (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दंड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परंतु, अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को जो अपील प्रस्तुत की जाएगी, उसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में सभी महत्वपूर्ण विवरण एवं दलीलें होंगी, जिनपर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ उसे अपील प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील किया गया है उससे मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड के प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलंबन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दंड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दंड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि

करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित , जिस अधिकारी ने दंड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु यह कि

(i) यदि बढ़ाया हुआ दंड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में निर्दिष्ट कोई बड़ा दंड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार इस मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निर्देश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जाए और उसके बाद जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और उचित समझा गया आदेश पारित करेगा।

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दंड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दंड उसपर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा; परंतु इस विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित होंगे और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दंडात्मक कार्रवाई मामले की जांच कर रही पुलिस य केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) नब्बे दिनों से अधिक समय तक लंबित रहने वाले मामलों की समीक्षा अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से की जाएगी और मामलों को निपटाए जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(वी. पी. सिंह)
महाप्रबंधक
(कार्मिक)

पाद टिप्पणी : यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :-

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	ओडीएआर/1/1997	22/08/1997
2.	ओडीएआर/1/2000	20/07/2000
3.	ओडीएआर/2/2000	08/08/2000
4.	ओडीएआर/3/2000	16/12/2000
5.	ओडीएआर/1/2002	08/01/2002

इंडियन बैंक

प्रधान कार्यालय

चेन्नै-600 001, दिनांक 29 अक्तूबर 2004

संख्या एसआरसी/47 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप–धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : –

1. <u>संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ</u> :

(1) ये विनियम इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

17 अपील : (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परंतु यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकॉर्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश / निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा।

अपील प्राधिकारी दण्ड / निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है, या मामले का, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु

(i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जाँच नहीं की गई तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जाँच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जाँच की रिकॉर्ड पर विचार–विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जाँच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उसपर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान मे रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परंतु इस विनियम में उल्लिखित समय–सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी / बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जाँच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

अ० कु० धर

अशोक कुमार धर
उप महा प्रबंधक (कार्मिक)

टिप्पणी : इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	8	24.02.2001
2	3	19.01.2002
3	42	19.10.2002
4	9	01.03.2003
5	31	02.08.2003

क्षेत्रीय कार्यालय (कर्नाटक)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बेंगलूर, दिनांक 4 अक्तूबर 2004

सं. 53/वी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त **बागलकोट** क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 'अ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - बागलकोट क्षेत्र

1. विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार	
उप श्रम आयुक्त, बेलगाम	अध्यक्ष
2. विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार	
श्रम अधिकारी, बागलकोट	सदस्य
3. विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार	
बीमा चिकित्स अधिकारी,क.रा.बी.नि.चि., बागलकोट	सदस्य
4. विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार	
नियोजकों के प्रतिनिधि	
श्री एम.एल.धागा, निदेशक, कनोरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगालकोट सीमेंट डीविजन, बागलकोट	सदस्य
श्री.जी.डी.भद्रन्नवर, अध्यक्ष, बनाहट्टी सहकारी नूलीना गिरानी नियमिता, बसावानगर, बनाहट्टी	सदस्य
श्री राघवन, कार्यपालक अधिकारी, गोदावरी सुगर वर्कस, समीरवाडी, मुदासल तालुक	सदस्य
डॉ. येलप्पा के.कपूर, प्रभागीय नियंत्रक, वायव्य कर्नाटका रास्ते सारिगी समस्ते, नवनगर, बागलकोट	सदस्य
5. विनियम 10-अ (1)(ड) के अनुसार	
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
श्री एच.वाई.रोला, उपाध्यक्ष, बी.सी.सी.वर्क्स यूनियन, मुचकंडी रोड, बागलकोट	सदस्य
श्री राजशेखर के.माडी, अध्यक्ष, सहकारी नूलिना गिरान्या नौकारा एण्ड केलसगार्र संघ, बनहट्टी	सदस्य
श्री एच.एस. भजंत्री, अध्यक्ष, मजदूर यूनियन, सोमैया सूगर वर्क्स, समरावडी, मुदसाल तालुक	सदस्य
श्री एम.एस.कोतबला, अध्यक्ष, के.एस.आर.टी.सी. स्टाफ एण्ड वर्कर्स यूनियन, स्टोर डिपार्टमेंट, शिवनगर, बागलकोट	सदस्य
6. विनियम 10-अ (1)(च) के अनुसार	
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, बीजापुर	सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन. परसुरामन

(एन.परसुरामन)
क्षेत्रीय निदेशक

सं. 53/बी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त **चित्रदुर्ग** क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 ' अ ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - चित्रदुर्ग क्षेत्र

1. **विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार**
   सहायक श्रम आयुक्त, दावणगेरे — अध्यक्ष
2. **विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार**
   श्रम अधिकारी, चित्रदुर्ग — सदस्य
3. **विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार**
   बीमा चिकित्स अधिकारी,क.रा.बी.नि.चि., चित्रदुर्ग — सदस्य
4. **विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार**

नियोजकों के प्रतिनिधि

   श्री साजिद, हबीब प्रोटीन एण्ड शॉट्स एक्सट्रेक्ट्स, हिरीयूर — सदस्य
   श्री राघवेंद्र, बी.टी. एण्ड एफ.सी. डिस्टीलरी, हिरीयूर — सदस्य
   श्री सादिक बसहा, पार्टनर, आजाद रॉलर फ्लॉर मिल, पी.बी.नं. - 44, बी.डी.रोड, चित्रदुर्ग — सदस्य
   श्री के.वी.प्रभाकर, प्रबंध निदेशक, जयलक्ष्मी ऑटो स्वीस लिमिटेड, संजना, दावणगेरे रोड, चित्रदुर्ग — सदस्य

5. **विनियम 10-अ (1)(ड) के अनुसार**

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

   श्री जी.चन्द्रप्पा, अध्यक्ष, ए.आई.टी.यू.सी. जिला बोर्ड, सी.पी.आई. कार्यालय, दावणगेरे रोड, चित्रदुर्ग — सदस्य
   श्री गणेश, पुत्र- दिवंगत गोविन्दया, जिला कोनविनुर, कर्नाटका स्टेट बिल्डींग वर्कर्स यूनियन, होसासंते मैदान, वेंकटेश्वरा टॉकीज के निकट, चित्रदुर्ग — सदस्य
   श्री एम.पी.बसवराजू, यूनियन लीडर, वाणिविलास सूगर फैक्टरी, हिरीयूर — सदस्य
   श्री टी.तिप्पेस्वामी, सचिव, वर्कर्स यूनियन फेडरेशन, ए.पी.एम.सी.यार्ड, चल्लाकेरे, चित्रदुर्ग — सदस्य

6. **विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार**
   शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, चित्रदुर्ग — सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन.परसुरामन

(एन.परसुरामन)
क्षेत्रीय निदेशक

सं. 53/बी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त गदग क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 'अ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - गदग क्षेत्र

1 **विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार**	
सहायक श्रम आयुक्त, हुबली	अध्यक्ष
2. **विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार**	
श्रम अधिकारी, गदग	सदस्य
3. **विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार**	
बीमा चिकित्स अधिकारी,क.रा.बी.नि.नि., गदग	सदस्य
4. **विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार**	
नियोजकों के प्रतिनिधि	
श्री पी.बी.कुलकर्णी, श्रम अधिकारी, लेयर्स को-ऑपरेटिव स्पीनींग मिल्स लिमिटेड, हुलकोटि - 582 205. गदग जिला	सदस्य
श्री एस.एस. यारादर्गी, श्रम अधिकारी, गदग को-ऑपरेटिव टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, हुलकोटि, गदग जिला	सदस्य
श्री इश्वरप्पा बसप्पा चक्रसाली, श्री सोमेश्वर रैतर सहकारी नूलिना गिरानी नियमित, लक्ष्मीश्वरा-582 116 , सिराहट्टी तालुक, गदग जिला	सदस्य
श्री देवप्पा निंगप्पा गडेद, श्री सोमेश्वर रैतर सहकारी नूलिना गिरानी नियमित, लक्ष्मीश्वरा-582 116 , सिराहट्टी तालुक, गदग जिला	सदस्य
5. **विनियम 10-अ (1)(ङ) के अनुसार**	
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
श्री जी.के.अदप्पा गौडर, अध्यक्ष, गदग को-ऑपरेटिव टेक्सटाइल्स मिल इम्पलाइज यूनियन, हुलीकोट, गदग	सदस्य
श्री रमणगौडा होसागौडा, श्री सोमेश्वर रैतर सहकारी नूलिना गिरानी नियमित, लक्ष्मीश्वरा-582 116 , सिराहट्टी , गदग	सदस्य
श्री शरणप्पा सोपी, श्री सोमेश्वर रैतर सहकारी नूलिना गिरानी नियमित, लक्ष्मीश्वरा-582 116 , सिराहट्टी तालुक, गदग	सदस्य
6. **विनियम 10-अ (1)(च) के अनुसार**	
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम., गदग	सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन. परसुरामन

(एन.परसुरामन)

क्षेत्रीय निदेशक

सं. 53/वी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त गुलबर्गा क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 ' अ ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - गुलबर्गा क्षेत्र

1. **विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार**
   उप श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त, गुलबर्गा — अध्यक्ष
2. **विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार**
   श्रम अधिकारी, गुलबर्गा — सदस्य
3. **विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार**
   बीमा चिकित्सा अधिकारी,क.रा.बी.नि.चि., गुलबर्गा — सदस्य
4. **विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार**

नियोजकों के प्रतिनिधि

श्री जोसफ रविराज प्रबंधक, II.आर.डी.सिस्टमस् प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड शाहाबाद, गुलबर्गा	सदस्य
श्री सुरजीत सेन, प्रबंधक, एच.आर.डी., ए.सी.सी. लिमिटेड, वाडी सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, वाडी, गुलबर्गा	सदस्य
श्री के.एन.मूलीमनी, प्रबंधन निदेशक, एलीकोम एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड अविनाश पेट्रोल बंक के पास, नेहरूगंज, गुलबर्गा	सदस्य
श्री अय्यन्ना, डलमिल्स, हाउस नं. 831/28, नागर कॉम्पलेक्स, नेहरूगंज, गुलबर्गा	सदस्य

5. **विनियम 10-अ (1)(ङ) के अनुसार**

कर्मचारियों के प्रतिनिधि

श्री गोपालराव किनीकर, अध्यक्ष, गुलबर्गा डिस्टीक सिनेमा थियेटर, इम्पलॉइज एसोसिएसन, ब्रह्मापुरा, गुलबर्गा	सदस्य
श्री सी ए.पाटील, उपाध्यक्ष, वासवदत्ता सिमेंट कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन, हाउस नं 10-105/48, सारण नगर, ब्रह्मापुरा, गुलबर्गा	सदस्य
श्री मल्लेशी, पुत्र देवप्पा सज्जन, एच.एम.पी.कॉलोनी, हाउस न. जी-4-7, शाहाबाद, चितापुर ताल्लुक, गुलबर्गा	सदस्य
श्री पी.बी रासकुमार, हाउस नं. 44-ए, भगवती नगर, जेवर्गी क्रास, गुलबर्गा	सदस्य

6. **विनियम 10-अ (1)(च) के अनुसार**
   शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम,गुलबर्गा — सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन.परसुरामन

(एन.परसुरामन)
क्षेत्रीय निदेशक

स 53/बी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त हुबली क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क रा बी (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 'अ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - हुबली क्षेत्र

1. **विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार**	
सहायक श्रम आयुक्त, हुबली	अध्यक्ष
2 **विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार**	
श्रम अधिकारी, हुबली	सदस्य
3 **विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार**	
चिकित्सा अधीक्षक, क रा बी नि अ, हुबली	सदस्य
4 **विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार**	
नियोजकों के प्रतिनिधि	
श्री विजय कुमार, बोलमल एडवोकेट, अलायी पन्नाबसावेश्वरा निलया, 5वाँ क्रॉस, विनायका कॉलोनी, विद्यानगर, पुलीस स्टेशन के पीछे, हुबली	सदस्य
श्री महेन्द्र लड्डद, मानद सचिव, कर्नाटका विनिज्योद्यमा समस्ते, जे सी नगर, हुबली 20	सदस्य
श्री चन्द्रशेखर मणिगप्पा मिनाजगी, प्रथम फ्लैट, सिल्वर पार्क, राजाजीनगर, देवगा पेटे रोड, हुबली	सदस्य
श्री श्रीकांत जी केतुर, होटल अजंता, जे.सी रोड, हुबली	सदस्य
5 **विनियम 10-अ (1)(ङ) के अनुसार**	
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
श्री जी एस करियाण्णावर, महासचिव, धारवाड तालुक जेनरल इस्टेब्लिसमेंट इम्पलॉइज यूनियन, जयनगर, जनता कॉलेज रोड, धारवाड	सदस्य
श्री मल्लेश, वाणिज्य सयनूर, एल आई जी -42, नावानगर, हुबली-25	सदस्य
श्री जे डी गोडाकर, महासचिव, सी आई टी यू, डीएन कण्णना गुडी, हुबली	सदस्य
श्री शब्बीर अहमद ए उधोला, धारवाड जिला बीड़ी वर्कर्स यूनियन, महूरवोणी, पुरानी हुबली	सदस्य
6. **विनियम 10-अ (1)(च) के अनुसार**	
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क रा बी निगम, हुबली	सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन परसुरामन

(एन परसुरामन)

क्षेत्रीय निदेशक

स. 53/वी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त **कोलार क्षेत्र** की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 'अ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - कोलार क्षेत्र

1. **विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार**	
उप श्रम आयुक्त, क्षेत्र-2, बेंगलूर	अध्यक्ष
2. **विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार**	
श्रम अधिकारी, कोलार	सदस्य
3. **विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार**	
बीमा चिकित्सा अधिकारी,क.रा.बी.नि.चि., बी.ई.एम.एल., के.जी.एफ.	सदस्य
4. **विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार**	
नियोजकों के प्रतिनिधि	
श्री गंगाधर, प्रबंधक (आई.आई.आर.), बी.ई.एम.एल., के.जी.एफ.	सदस्य
श्री बी.वी. नागराजू, प्रबंधक, जयंती डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्कम, एन्डरसोनपेट, के.जी.एफ.	सदस्य
श्री डी करूणाकरन्, कार्यालय प्रबंधक, रासमेटल्स् इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मासकन्दा, एन्डरसोनपेट, के.जी.एफ.	सदस्य
श्री एम.ए.यसुदास, प्रबंधक, भूतपूर्व सर्विस एसोसिएसन, कॉन्ट्रेक्टर, बी.ई.एम.एल., के जी एफ.	सदस्य
5 **विनियम 10-अ (1)(ङ) के अनुसार**	
कर्मचारियो के प्रतिनिधि	
श्री आर.सत्यमूर्ती, अध्यक्ष, बी.ई.एम.एल. इम्पलॉइज एसोसिएसन, वी.ई.एम.एल., के.जी.एफ.	सदस्य
श्री एस.अनबारवर, सचिव, बी.ई.एम.एल., कॉन्ट्रेक्टर लेबर एसोसिएसन के.जी.एफ.	सदस्य
श्री एस.एन.गुमास्ते, खजाँची, बी.ई.एम.एल., इम्पलॉइज एसोसिएसन, वी.ई.एम.एल., के.जी.एफ.	सदस्य
श्री पी परसुराम मूर्ती, अध्यक्ष, बी.ई.एम.एल., कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन, बी ई.एम एल के.जी.एफ.	सदस्य
6. **विनियम 10-अ (1)(च) के अनुसार**	
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क.रा.बी निगम,के.जी.एफ.	सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन. परसुरामन

(एन.परसुरामन)

क्षेत्रीय निदेशक

सं 53/वी/34/14/11/99/डिस-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों से युक्त मैसूर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क रा बी (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 'अ' के अंतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

[illegible] - मैसूर क्षेत्र

1. विनियम 10-अ (1)(क) के अनुसार
   सहायक श्रम आयुक्त, मैसूर — अध्यक्ष
2. विनियम 10-अ (1)(ख) के अनुसार
   श्रम अधिकारी, मैसूर — सदस्य
3. विनियम 10-अ (1)(ग) के अनुसार
   चिकित्सा अधीक्षक, क रा बी नि अ, मैसूर — सदस्य
4. विनियम 10-अ (1)(घ) के अनुसार
   नियोजकों के प्रतिनिधि
   श्री शिवकुमार पाटील, निजी प्रबंधक, विक्रांत टायर्स लिमिटेड, के आर एस रोड, मैसूर — सदस्य
   श्री रामकृष्णैया, सं 1/70 बी, आर.बी.आई कॉलोनी, सोमा मुद्रण नगर, मेटागली, मैसूर — सदस्य
   श्री स्वामीगौडा एच के, वरिष्ठ अधिकारी, सी एन्ड पी, गोदिका एल्युमिनियम लिमिटेड, मैसूर — सदस्य
   श्री एन जी रामगोपाल, निर्देशक, सर्वदेवशाला प्राइवेट लिमिटेड, मंजलगुड — सदस्य
5. विनियम 10-अ (1)(ङ) के अनुसार
   कर्मचारियों के प्रतिनिधि
   श्री लोकेश, सचिव, भारतीय मजदूर यूनियन, कल्याण भवन बिल्डींग सख्या 17, त्यागराज रोड, मैसूर — सदस्य
   श्री मोहन कुमार, सचिव, सी आई टी यू, सख्या 505, दूसरा तल, के एस अग्रहार, मैसूर — सदस्य
   श्री एच थोम्मलोलाइन, क्रेक यूनियन, सख्या 40, 2 रा क्रॉस, 2रा फेज, गायत्रीपुरम, मैसूर — सदस्य
   श्री एस आर सोमसुन्दरम, उपाध्यक्ष, ए बी ई यू सी, प्रथम क्रॉस, सख्या 20682, मेदरा केरी, मन्दडवाडी रोड, के आर मोहल्ला, मैसूर — सदस्य
6. विनियम 10-अ (1)(च) के अनुसार
   शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क रा बी निगम, सुभाषनगर मैसूर — सदस्य-सचिव

आयुक्तकर्ता

एन परशुरामन

(एन.परशुरामन)

क्षेत्रीय निदेशक

सं. 53/वी/34/14/11/99/हित-II: एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यो से युक्त **तुमकुर** क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम-10 ' अ ' के अतर्गत अधिसूचित की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है।

स्थानीय समिति - तुमकुर क्षेत्र

1. **विनियम 10-अ (1) (क) के अनुसार**	
सहायक श्रम आयुक्त, बेंगलूर विभाग - 1	अध्यक्ष
2. **विनियम 10-अ (1) (ख) के अनुसार**	
श्रम अधिकारी, तुमकुर	सदस्य
3. **विनियम 10-अ (1) (ग) के अनुसार**	
बीमा चिकित्स अधिकारी,क.रा.बी नि.चि., तुमकुर	सदस्य
4. **विनियम 10-अ (1) (घ) के अनुसार**	
नियोजकों के प्रतिनिधि	
श्री आर.जी.नागेन्द्र (एच.आर.डी.), प्रबंधक, मेसर्स एस.टी.टी.ग्रेनाइट्स इंडिया लिमिटेड, सं. 23/24, अंतरनाहल्ली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, तुमकुर	सदस्य
श्री मंजूनाथ (एच.आर.डी.) , सहायक प्रबंधक, मेसर्स कार मोबाइल्स लिमिटेड हिरेहल्ली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, तुमकुर	सदस्य
श्री के रत्नाकर (एच.आर.डी.), प्रबंधक, मेसर्स विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, अंतरनाहल्ली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, तुमकुर	सदस्य
श्री एम सी.मरालुसिद्दा (एच.आर.डी.), प्रबंधक, मेसर्स टी.वी एस.इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हिरेहल्ली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, तुमकुर	सदस्य
5. **विनियम 10-अ (1) (ङ) के अनुसार**	
कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
श्री कन्देगौडा, महासचिव, C/O- मेसर्स कार मोबाइल्स इम्पलाइज यूनियन, ए.आई.टी.यू.सी., हिरेहल्ली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, तुमकुर	सदस्य
श्री के.आर नायक, अध्यक्ष, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल इंस्टीच्यूट एन्ड इंडस्ट्रीयल इम्पलॉइज एसोसिएसन, एम.जी.रोड, तुमकुर	सदस्य
श्री सैयद मुजीब, अध्यक्ष, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट बीड़ी वर्कर्स यूनियन, (सी.आई.टी.यू.),नजराबाद, तुमकुर	सदस्य
श्री आर.सी.हींजरप्पा, उपाध्यक्ष, मेसर्स विप्रो इम्पलॉइज यूनियन, अंतरासनाहल्ली इंडस्ट्रीयल इस्टेट, तुमकुर	सदस्य
6. **विनियम 10-अ (1) (च) के अनुसार**	
शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क रा.बी.निगम, तुमकुर	सदस्य सचिव

आदेशकर्ता

एन. परसुरामन

(एन.परसुरामन)
क्षेत्रीय निदेशक

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 19 अक्तूबर 2004

संख्याः सी0डब्ल्यू0सी0/III-45/ईडीसी-2004/बी.एण्ड सी.

केन्द्रीय भण्डारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड (ई) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों द्वारा 16.10.2004 को दो वर्ष की अवधि के लिए विधिवत चुने गए निदेशक का नाम और पता नीचे दिए गए अनुसार अधिसूचित किया जाता है । यह अवधि 16.10.2004 (अपराह्न) से प्रभावी होगी ।

अंशधारियों का वर्ग	चुने गए निदेशक का नाम और पता
सहकारी समितियाँ	श्री वीरेन्द्र सिंह, दी वैस्ट सबर्बन ग्रोसर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि0 ए-3, लिबर्टी शापिंग, 10-सी, हिल रोड कॉम्प्लैक्स, बांद्रा, मुम्बई-400 050

(एस.सी.बतरा)
सचिव
केन्द्रीय भण्डारण निगम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 4 नवम्बर 2004

सं. के.भ.नि.आ. 1 (4)/2140/2004/जेएच--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1.	जेएच/11035	मै. प्रताप शूज़	01.02.03	01.02.03
2.	जेएच/10989	मै. डराईलटच	01.10.02	01.10.02
3.	जेएच/11160	मै. वुल हाऊस	01.06.03	01.06.03

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के.भ.नि.आ. 1 (4)/2139/2004/एएस/27481--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1.	एएस/5367	मै. स्विस वॉच कार्पोरेशन	17.05.04	17.05.04
2.	एएस/5389	मै. एस. टी. इलैक्ट्रिकल्स	01.06.04	01.06.04
3.	एएस/5390	मै. एल. बी. एस. पब्लिकेशन्स	01.06.04	01.06.04
4.	एएस/5405	मै. टी. आई. ट्रेड	01.07.04	01.07.04
5.	एएस/5030	मै. बी. टी. एन्टरप्राईजेज	01.02.03	29.01.03
6.	एएस/5133	मै. सिखा	01.06.03	01.06.04
7.	एएस/5402	मै. इनवीरो टेस्टिंग सर्विस	01.06.04	31.05.04
8.	एएस/5093	मै. जे. जे. एसोसिएट्स	15.04.03	03.04.03
9.	एएस/5311	मै. राजधानी टिल प्रोडक्ट	07.01.04	07.01.04

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के.भ.नि.आ. 1 (4)/2141/2004/एपी/जेएच/27481--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1.	एपी/जीएनटी/33891	मै. दि अर्थावेडू पीएसीएस लि.	15.12.00	15.12.00
2.	एपी/42382	मै. कल्याणी इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राईसिस	12.04.02	12.04.02
3.	एपी/42348	मै. पी.ए.सी.सी.एस. लि.	15.12.01	15.12.01
4.	एपी/42445	मै. दि पी.ए.सी.सी. लि.	01.08.02	15.12.01
5.	एपी/42381	मै. प्रगती विद्या निकेतन	01.09.01	01.09.01
6.	एपी/42385	मै. एम. एस. वालकोनाईजरस एंड कॉन्टरेक्ट	06.02.02	06.02.02
7.	एपी/42523	मै. हरिजना लेबर कॉन्टरेक्ट को. ओ. सो. लि.	15.12.02	15.12.02
8.	एपी/42350	मै. पी.ए.सी.सी.एस. लि.	01.07.01	01.07.01
9.	एपी/42380	मै. जी. एस. आर कन्सट्रक्शन	11.04.02	11.04.02
10.	एपी/42347	मै. दि पी.ए.सी.सी. एस. लि.	15.12.01	15.12.01
11.	एपी/42555	मै. गोल मार्किट्स	11.04.03	11.04.03
12.	एपी/44642	मै. यल्लामा वडेरा लेबर कॉन्ट्रैक्टर को. ओ. सोसाईटी लि.	05.03.04	05.03.04
13.	एपी/42386	मै. राज इन्जिनियरिंग एन्टरप्राइसिस	01.03.02	01.03.02
14.	एपी/42489	मै. पी.ए.सी.सी. एस. लि.	14.02.09	14.09.02
15.	एपी/43808	मै. स्वर्णा टालवे प्रा. लि.	01.04.03	28.03.03
16.	एपी/42993	मै. इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को-ओ. क्रेडिट सोसाईटी लि.	12.08.02	12.08.02
17.	एपी/39117	मै. इन्सफोट टैक्नोलॉजिस लि.	22.02.01	22.02.01
18.	एपी/38229	मै. डी. ए. स्टेट्स कम्पनी	19.06.01	19.06.01
19.	एपी/39148	मै. इमेरजिंग सोल्यूसन्स प्रा. लि.	10.02.01	10.02.01
20.	जेएच/11072	मै. महत्तू एन्टरप्राईसिस	01.01.03	01.01.03

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के.भ.नि.आ. 1 (4)/2142/2004/आरजे/जेएच/ओआर/एएस/27481--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1.	आरजे/8688	मै. माध्यमिक आदर्श विद्या मन्दिर	30.04.04	30.04.04
2.	आरजे/7602	मै. राजन इन्टरनेशनल स्कूल	01.12.03	01.12.03
3.	आरजे/13403	मै. कशडलिंग नर्सरी स्कूल	01.05.04	01.05.04
4.	आरजे/8601	मै. महाबीर पब्लिक स्कूल	22.04.04	22.04.04
5.	आरजे/5587	मै. सत्या सदाव्रत कन्या सिनियर बीच माध्यमिक विद्यालय	01.05.04	01.05.04
6.	आरजे/13358	मै. महेश्वरी गर्ल पब्लिक स्कूल	01.08.04	01.08.04
7.	आरजे/10562	मै. बालेसर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि.	01.03.04	01.03.04
8.	जेएच/10538	मै. इन्टरनेशनल इलैक्ट्रिकल	01.08.98	01.08.98
9.	जेएच/10537	मै. टिवानकली एन्टरप्राईसिस	10.08.98	10.08.98
10.	ओआर/6735	मै. सरस्वती शिशु मन्दिर	19.12.03	06.11.03
11.	एएस/5446	मै. लिडा स्टील फेबरीकेशन	01.06.04	01.06.04
12.	एएस/3906	मै. पेमी केम एंड वूड फर्नीचर	01.05.02	01.05.02
13.	एएस/5125	मै. आसाम इन्जी. दीप एजेन्सी	01.06.03	28.05.03
14.	एएस/5425	मै. सिक्मए करोसिन ऐजेन्सी	01.08.04	01.07.04

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

सं. के.भ.नि.आ. 1 (4)/2145/2004/एपी/27481--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :--

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापनाओं का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि	
1	2	3	4	
1.	एपी/40231	मै. वी. वी. राघावाई सिविल कॉन्ट्रेक्टर	01.09.2003	26.08.2003
2.	एपी/40380	मै. ए. नरसिमा रेड्डी कॉन्ट्रेक्टर	22.12.2003	22.12.2003

1	2	3	4	
3.	एपी/40325	मै. पी.पुरूषोत्तम कॉन्ट्रेक्टर	01.10.2003	27.09.2003
4.	एपी/22569	मै. डी. आर. डी. ए.	01.01.1993	01.01.1993
5.	एपी/40367	मै. साई चरन एसोसिएट	01.01.2004	01.01.2004
6.	एपी/41958	मै. एन. सी. एल. अनर्जी लि.	19.06.2001	19.06.2001
7.	एपी/37418	मै. दि मैट्रो सिटी कर्मीनल कोर्टस इम्पलाईज मुलवेली रेड्डी को. ओ. क्रे. सो.	01.04.2000	16.04.2000
8.	एपी/40352	मै. समेश्वरा राव शिगार कं.	07.10.2003	07.10.2003
9.	एपी/40381	मै. यूनिवर्सल सिविल एण्ड कोमनिकेशन वर्क्स	29.12.2003	29.12.2003
10.	एपी/37669	मै. पूर्णिमा फारगवानसी प्रा. लि.	12.06.2000	12.06.2000

अत: केंन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.)

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 02 नवम्बर 2004

नं013सी.ए./परीक्षा/आई.एस.ए./डी./2004 चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या 1 सी.ए (7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के अनुसार दि कांसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम आडिट कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 24/12/2004 को सत्र 8 बजे से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रो जिनको कि दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है पर होगी। बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त सख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते है ।

श्रेणी–I (प्रथम) (परीक्षा केन्द्र जिनमें आई0एस0ए0 परीक्षा होगी)

परीक्षा केन्द्र :–

1.	आगरा	2.	अहमदाबाद	3.	अमृतसर	4.	बैगलोर
5.	भुवनेश्वर	6.	चंडीगढ	7	चिन्नई	8	कोयम्बटूर
9	कटक	10	ईरनाकूलम	11	गाजियाबाद	12	गुवाहटी
13	हैदराबाद	14	इदौर	15	जयपुर	16	जलगांव
17	जम्मू	18	कानपुर	19	कोलकाता	20	लखनऊ
21	लुधियाना	22	मदुरई	23	मुम्बई	24	नागपुर
25	नई दिल्ली	26	नोएडा	27	पानीपत	28	पटना
29	पूना	30	रायपुर	31	राउरकेला	32	सेलम
33	सूरत	34	उदयपुर	35	वाराणसी	36	विजयवाडा
37	विशाखापटनम	38	यमुना नगर				

श्रेणी–II (द्वितीय):–

(परीक्षा केन्द्र जिनमें आई0एस0ए0 की परीक्षा होगी बशर्ते कि इन परीक्षा केन्द्रों में कम से कम 25 परीक्षार्थी निवेदन करते हैं ।

परीक्षा केन्द्र

1.	भावनगर	2.	दुर्गापुर	3.	गौरखपुर	4.	कुरूक्षेत्र
5.	नवसारी	6.	रूडकी	7.	श्री गंगानगर		

परीक्षार्थी जो कि श्रेणी–II (द्वितीय) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रो के लिये निवेदन करते हैं को श्रेणी–I (प्रथम) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में से एक या दो वैकल्पिक परीक्षा केन्द्रो को प्राथमिकता के अनुसार भी चुनना है यदि श्रेणी–II (द्वितीय) के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र में 25 से कम परीक्षार्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षार्थियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार जो कि उन्होने आवेदन पत्र श्रेणी–I (प्रथम) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रो को भरा होगा आवंटन किया जायेगा ।

यदि किसी परीक्षार्थी ने जिसको कि श्रेणी–II (द्वितीय) के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के लिये आवेदन किया है और परीक्षा केन्द्र श्रेणी–I(प्रथम) के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर नहीं चुना हे को किसी भी नजदीकी परीक्षा केन्द्र श्रेणी–I (प्रथम) के अन्तर्गत आवंटन किया जायेगा ।

(ङ) अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकती है ।

(च) परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत है, के लिये है।

इस परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 1,000/– (एक हजार रूपये) मात्र है ।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होना चाहिए । आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 01/12/2004 तक पहुंच जाये । दिनांक 01/12/2004 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

इस परीक्षा के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/–रूपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचो के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 11 नवम्बर 2004 से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(जी० सोमाशेखर)
संयुक्त सचिव(परीक्षा)सी.सी.

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद

देवलाली, दिनांक 11 नवम्बर 2004

एस आर ओ सं. 646/ए डी एम /इ.1 /——— 2004 जबकि देवलाली छावनी सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों पर वाहन प्रवेश कर लागू करने के लिए छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 255 के साथ पठनीय धारा 61 के तहत यथापेक्षित प्रस्ताव के प्रारूप के नोटिस की प्रति उसके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि की समाप्ति तक, उक्त कर से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करते हुए देवलाली छावनी परिषद के सहज रुप से दिखाई देने वाले भाग में विपका कर दिनांक 18 अगस्त 2004 को प्रकाशित किया गया था एवं इसको स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था ।

तथा, जबकी उक्त प्रारुप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर छावनी परिषद् द्वारा विधिवत् विचार किया गया ।

तथा, जबकी उक्त अधिनियम की धारा 63 के तहत यथा अपेक्षित केन्द्र सरकार ने छावनी परिषद, देवलाली को उपर्युक्त कर को इसके मूल रूप में लगाने के लिए विधिवत् प्राधिकृत कर दिया है ।

अतः अभी उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छावनी परिषद् देवलाली केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा देवलाली छावनी सीमा में प्रवेश करने वाले और सीमा से गुजरने वाले वाणिज्यिक तौर पर भारित वाहनों पर वाहन प्रवेश कर नामक कर लागू करती है जो वाहन के मालिक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा, संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दर से देय होगा :–

अनुसूची

कम सं0 (1)	वाहन का प्रकार (2)	कर–दर (3)
1.	किराये पर सवारियों का वहन करने वाली मोटर बस	रू0 15/–
2.	माल वाहक ट्रक	रू0 15/–
3.	विज्ञापन कार/जीप/तिपहिया	रू0 10/–
4.	माल ढोने वाला ट्रैक्टर टेलर सहित	रू0 05/–
5.	माल ढोने वाला तिपहिया आटो रिक्सा/टेम्पो	रू0 05/–

शर्त यह है कि वाहन के एक ही दिन में दूसरे तथा परवर्ती देवलाली छावनी सीमा में प्रवेशों के लिए, वाहन को आधा दर से कर का भुगतान करना होगा, जिसके लिए वाहन धारक को प्रथम प्रवेश के समय जारी किया गया प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

उपर्युक्त वाहन प्रवेश कर निम्नलिखित वाहनों पर लागू नही होगा :–

1 केन्द्र / राज्य सरकारी वाहन

2 छावनी परिषद देवलाली के वाहन

3 नाशिक महानगरपालिका के वाहन तथा भगूर नगरपालिका के वाहन

4 रुग्णवाहिनी

5 शववाहिनी

6 महाराष्ट्र सरकार की एसटी बसें

7 चुनाव कार्य में लगे वाहन

8 केवल खेती के कार्य हेतू इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर्स

9 स्कूली बच्चों को ले जाने वाली बसें

10 भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना अधिनियम 1901 (1901 का 2) की धारा 3 के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों के वाहन और संपत्ति ।)

छावनी अधिशासी अधिकारी
देवलाली
(एन एफ हुसैन)

दिल्ली छावनी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 05 नवम्बर 2004

एसओआरओ सं0- 289ई जबकि छावनी अधिनियम की धारा 61 के साथ धारा 255 के द्वारा अपेक्षित, जनता के रखे हुए प्रारूप प्रस्ताव, दिल्ली छावनी परिषद के द्वारा सभी विज्ञापनों पर कर लगाने से सम्बन्धित प्रारूप सार्वजनिक नोटिस सं0- डी.सी.बी/26/टी/रेवन्यू/विज्ञा0कर, दिनांक 4 अप्रैल,2003 को प्रकाशित हुआ (इसके आगे उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट) उक्त सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्तर्गत प्रभावित होने की संभावना के, सभी व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये ।

और जबकि उक्त नोटिस छावनी परिषद के सूचना पट्ट में दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को लगाया गया था ।

और जबकि उपयुक्त समय से पहले उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर जनता के अनापत्ति एवं सुझाव प्राप्त हो चुके हैं ।

और जबकि केन्द्र सरकार ने दिल्ली छावनी परिषद के उक्त अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत अपेक्षित मूल रूप से उक्त कर लगाने हेतु अधिकृत किया है ।

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 60 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय व एसओआरओ सं0-289 दिनांक 16.8.1965 की अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए भारत के गजट, भाग 2 धारा 4 में प्रकाशित किया । ऐसे अतिक्रमण से पहले जो हो गया है या हटा दिया गया है के अनुसार, दिल्ली छावनी परिषद समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त सभी विज्ञापनों पर केन्द्र सरकार के पूर्व स्वीकृत के अनुसार कर अधिरोपित करती है । किसी भी ज़मीन पर विज्ञापन लगा कर प्रदर्शित करना, भवन, वाल होल्डिंग, संरचना या वाहनों या दिल्ली छावनी की सीमा के अन्दर जब भी किसी स्थान के चाहे वह सार्वजनिक या गैर सरकारी हो, किसी भी तरह का विज्ञापन जनता को दिखाने के लिये करता हो, तो उस व्यक्ति को निम्न सूची में यथा निर्दिष्ट दर के अनुसार प्रत्येक विज्ञापन पर कर देगा :

अनुसूची

क्रम संख्या	विवरण		वार्षिक मूल्य दर
1.	नान-इलयमिनेटिड विज्ञापन चाहे वह छावनी भाग में लगा है, सरकारी भूमि या प्राईवेट भूमि पर,		
	(क) 2.32 वर्गमीटर तक की जगह	-	रू0 45-
	(ख) 2.32 से 9.30 वर्गमीटर तक जगह	-	रू0 90-
	(ग) 2.32 या 9.30 वर्गमीटर से कम/ अतिरिक्त जगह पर	-	रू0 45-

2. नान-इल्यूमिनेटिड विज्ञापन चाहे वह मोटर/ट्रक/बैलगाड़ी/घोड़ा गाड़ी या अन्य पशु द्वारा, साईकिल अथवा अन्य साधनों द्वारा लगाये हों,			
(क) 2.32 वर्गमीटर के स्थान पर	–	रू0	90-
(ख) 2.32 वर्गमीटर से 9.30 वर्गमीटर तक	–	रू0	180-
(ग) 2.32 वर्गमीटर तथा 9.30 वर्गमीटर से कम तक के स्थान पर	–	रू0	90-
3. नान-इल्यूमिनेटिड विज्ञापन सैंडविच बोर्डमैन द्वारा लगाया गया			
(क) 0.92 वर्गमीटर स्थान तक		रू0	20-
(ख) 0.92 वर्गमीटर स्थान से 2.32 वर्गमीटर तक	–	रू0	75-
4. सार्वजनिक स्थानों पर स्क्रीन पर स्लाईड लैंट्रोन द्वारा लगाया गया विज्ञापन			
(क) 2.32 वर्गमीटर स्थान तक	–	रू0	80-
(ख) 2.32 वर्गमीटर स्थान से ऊपर तथा 9.30 वर्गमीटर तक	–	रू0	240-
5. नान-इल्यूमिनेटिड विज्ञापन दुकानों या व्यवसायिक आहातेंक (नामपट्ट को हटाकर) में	–		
(क) 2.32 वर्गमीटर स्थान के लिए	–	रू0	100-
(ख) 2.32 वर्गमीटर स्थान के लिए तथा 9.30 वर्गमीटर स्थान तक के लिए	–	रू0	440-
(ग) 0.32 वर्गमीटर के लिए या 9.30 से कम प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	–	रू0	960-
6. नान-इल्यूमिनेटिड विज्ञापन खोखा/स्टालों जो भी छावनी भूमि/सरकारी भूमि पर या प्राईवेट भूमि पर हो			
(क) 2.32 वर्गमीटर स्थान तक के लिए	–	रू0	250-
(ख) 2.32 वर्गमीटर स्थान और 9.30 वर्गमीटर स्थान तक	–	रू0	960-
7. सिनेमा-शो में स्लाईड द्वारा दिखाए गए विज्ञापन	–	रू0 10- प्रति स्लाईड प्रतिमाह या पार्ट-मा का	
8. इल्यूमिनेटिड विज्ञापन बोर्ड चाहे वह छावनी भूमि पर, सरकारी भूमि पर या प्रईवेट भूमि, दुकानों या व्यवसायक केन्द्र नाम पट्ट के अलावा बोर्ड को उपरोक्त नान-इल्युमिनेटिड दी गई दरों से डेगनीदर			

9. छावनी के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन			
(क)	457 मि0मी0 × 610 मि0मी0 से नीचे	–	रु0 10/- प्रति प्रकाशन 24 पोस्टरों के
(ख)	457 मि0मी0× 610 मि0मी0 से ऊपर	–	रु0 15/- प्रति प्रकाशन 24 पोस्टरों के
10. गायक पार्टियों का विज्ञापन		–	रु0 40/- प्रतिमाह या माह के खण्ड का

मी0/2/11

(मीना बी शर्मा)
छावनी अधिशासी अधिकारी
दिल्ली छावनी

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & DEVELOPMENT)
WORLD TRADE CENTRE, CENTRE-I

Mumbai-400005, the 15th September 2004

No. DBOD No. PSBS.BC 42/16.01.129/2004-05.—In pursuance of clause (b) of sub section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following :—

"The Global Trust Bank Limited."

USHA THORAT
Executive Director

ALLAHABAD BANK
HEAD OFFICE

Kolkata, the 15th October 2004

No. HO/IR/F-49/1981—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Allahabad Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. Short title and commencement : (1) These Regulations may be called Allahabad Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allahabad Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely :-

"17 Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12:

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall

contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that:

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

(PRABIR MOULIK)
GENERAL MANAGER (PA/IT/MKT)

Foot Note: Earlier amendments to the Allahabad Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:-

Sl. No.	Notification No.	Dated
1.	Legal/1/87	19.08.87
2.	Legal/2/87	14.09.87
3.	Legal/3/87	02.11.87
4.	Legal/4/87	02.11.87
5.	Legal/5/87	13.11.87
6.	Legal/6/87	20.11.87
7.	Legal/2/88	07.10.88
8.	Legal/2/89	30.10.89
9.	Legal/2/90	21.06.90
10.	Legal/3/90	22.06.90
11.	HO/Legal/X-29/0646	18.08.92
12.	HO/Legal/334/0647	18.08.92
13.	HO/Legal/0550	17.08.93
14.	HO/Legal/1500	16.02.94
15.	HO/Legal/2614	11.01.95
16.	HO/Legal/2658	19.01.95
17.	HO/Legal/0279	15.06.95
18.	HO-Admn/5/1656	06.11.96
19.	HO/Legal/0938	25.11.97
20.	HO/Legal/1236	15.03.97
21.	HO/Legal/1273	04.03.99
22.	HO/Legal/949	10.12.99
23.	Admn/5/3822	29.02.2000
24.	Admn/6/1992	26.06.2000
25.	HO/Legal/0576	05.07.2000
26.	Admn/3107	07.08.2002
27.	Admn/5/4370	12.04.2003

PRABIR MOULIK
General Manager (PA/IT/MKT)

UCO BANK
HEAD OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Kolkata-700 001, the 20th September 2004

No. ODAR/1/2004. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act. 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement:** (1) These Regulations may be called UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:-

"17. Appeal: (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12;

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of

suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that:

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant;

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

(V.P. Singh)
General Manager
(Personnel)

Foot Note: Earlier amendments to the UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:-

S. No.	Notification No.	Date
1.	ODAR/1/97	22/8/1997
2.	ODAR/1/2000	20/7/2000
3.	ODAR/2/2000	8/8/2000
4.	ODAR/3/2000	16/12/2000
5.	ODAR/1/2002	8/1/2002

INDIAN BANK
HEAD OFFICE

Chennai-600001, the 29th October 2004

No. SRC/47. In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to amend further the Indian Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. **Short title and commencement:**

(1) These Regulations may be called the Indian Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**17 Appeal**: (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12:

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension / findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate

and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty / suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that:

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/ minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing."

ASHOK KUMAR DHAR
DY. GENERAL MANAGER (PL)

Foot Note: Earlier amendments to the Indian Bank Officer Employees' (Disciplines and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :-

S. No.	Notification No.	Date
1	8	24.02.2001
2	3	19.01.2002
3.	42	19.10.2002
4.	9	01.03.2003
5	31	02.08.2003

ESI CORPORATION
REGIONAL OFFICE (KARNATAKA)

Bangalore, the 4th October 2004

No.53 V 84 14/11 99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for BAGALKOTE area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – BAGALKOTE AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Deputy Labour Commissioner, Belgaum.	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, Bagalkote.	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Insurance Medical Officer, ESID, Bagalkote.	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. M.L.Dhaga, Director, Kanoria Industries Ltd., Bagalkote Cement Division, **BAGALKOTE.** Sri. G.D. Bhadrannanavar, Chairman, Banahatti Sahakari Noolina Girani Niyamita, Basavanagara, **BANAHATTI.** Sri. Raghavan, Executive Officer, Godawari Sugar Works, Samirawadi, **MUDASHAL TALUK.** Dr. Yellappa K.Kappor, Divisional Controller, Vayuvya Karnataka Raste Sarige Samste. Navanagara, **BAGALKOTE.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri. H.Y.Rolla,Vice-President, B.C.C.Works Union Muchekhandi Road, **BAGALKOTE.** Sri. Rajashekar K.Maddi, President, Sahakari Noolina Giraniya Naukara & Kelasagarara Sangha, **BANAHATTI.** Sri. H.S. Bhajantri, President, Mazdoor Union, Somaiah Sugar Works, Samarawadi **MUDASHAL TALUK.** Sri. M.S. Kotabla, President, K.S.R.T.C. Staff & Workers Union, Store Department, Shivanagar, **BAGALKOTE.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager, Branch Office, ESI Corporation, **BIJAPUR**	Member/ Secretary

By Order

N. Parasuraman

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No.53/V/34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for CHITRADURGA area under Regulation-10A of the FSI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – CHITRADURGA AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Assistant Labour Commissioner, Davanagere.	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, Chitradurga.	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Insurance Medical Officer, ESID, Chitradurga.	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. Sajid, Habib Protein & Shots Extracts, **HIRIYUR.** Sri. Raghavendra, B.T. & F.C. Distillery, **HIRIYUR.** Sri. Sadiq Basha, Partner, Azad Roller Flour Mill, P.B. No.-44, B.D.Road, **CHITRADURGA.** Sri. K.V. Prabhakar, Managing Director, Jayalakshmi Auto Swiss Ltd., Sanjana, Davanagere Road, **CHITRADURGA.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri. G.Chandrappa, President,AITUC Dist. Board, CPI Office, Davanagere Road, **CHITRADURGA.** Sri. Ganesh,S/o. Late Govindaiah, District Convenor, Karnataka State Building Workers Union, Hosasante Maidana, Near Venkateshwara Talkies, **CHITRADURGA.** Sri. M.P.Basavarju, Union Leader, Vanivilas Sugar Factory, **HIRIYUR.** Sri. T.Tippeswamy, Secretary, Workers Union Federation, APMC Yard, Challakere, **CHITRADURGA.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager, Branch Office, ESI Corporation, **CHITRADURGA**	Member/ Secretary

By Order
(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No.53/V/34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for GADAG area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – GADAG AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Assistant Labour Commissioner, Hubli	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, Gadag.	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Insurance Medical Officer, ESID, Gadag.	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. P.B.Kulkarni, Labour Officer, Sayor's Co-op. Spinning Mills Ltd., Hulikote-582 205. **GADAG DISTRICT.** Sri. S.S.Vagdargi, Labour Officer, The Gadag Co-op. Textiles Mills Ltd., Hulikote, **GADAG DISTRICT.** Sri. Eshwarappa Basappa Chakrasali, Sri. Someshwar Raithara Sahakari Noolina Girani Niyamita, Lakshmeshwara-582116, Shirahatti Taluk, **GADAG DISTRICT.** Sri. Devappa Ningappa Gadeda, Sri Someshwar Raithara Sahakari Noolina Girani Niyamita, Lakshmeshwara-582116. Shirahatti Taluk, **GADAG DISTRICT.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri. G.K. Adappa Gowdar, President, The Gadag Co-op. Textile Mill EmployeesUnion, Hulikote, **GADAG.** Sri. Ramangowda Hosagowda , Sri Someshwar Raithara Sahakari Noolina Girani Niyamita, Lakshmeshwara-582116. Shirahatti, **GADAG.** Sri. Sharanappa Gopi. Sri Someshwar Raithara Sahakari Noolina Girani Niyamita, Lakshmeshwara-582116, Shirahatti Taluk, **GADAG.**	Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager, Branch Office, ESI Corporation, **GADAG**	Member/ Secretary

By Order

N. Parasuraman

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No.53/V/34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for GULBARGA area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – GULBARGA AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Deputy Labour Commissioner, / Assistant Labour Commissioner, **Gulbarga.**	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, **Gulbarga.**	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Insurance Medical Officer, ESID, **Gulbarga**	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. Joseph Raviraj, Manager, H.R.D.System Products India Ltd. Shahabad, **GULBARGA.** Sri. Surjit Sen, Manager, HRD, ACC Ltd., Wadi Cement Co. Ltd., Wadi, **GULBARGA.** Sri. K.N.Moolimani, Managing Director, Eliocom Agrochemicals Ltd., Near Avinash Petrol Bunk, Nehru Gunj, **GULBARGA.** Sri. Ayyanna, Dalmils, House No.831/28, Nagara Complex, Nehru Gunj, **GULBARGA.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri. Gopalarao Kinikar, President, Gulbarga Districts Cinema Theatre, Employees Association, Brahmapura, **GULBARGA.** Sri.C.A.Patil, Vice-President,Vasavadatta Cement Contract Workers Union,House No.10-105/48, Sharana Nagar, Brahmapura, **GULBARGA.** Sri. Malleshi, S/o. Devappa Sajjana, H.M.P. Colony, House No. G:4-7, Shahabad, Chitapur Tq. **GULBARGA.** Sri. P.V.Raskumar, House No: 44-A, Bhagavatinagar, Jevargi Cross, **GULBARGA.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager,Branch Office,ESI Corporation,**GULBARGA**	Member/ Secretary

By Order

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No 53 V/34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for HUBLI area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – HUBLI AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Assistant Labour Commissioner, Hubli.	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, Hubli.	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Medical Superintendent, ESIH, Hubli.	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. Vijaykumar, Bolmal Advocate, Ulavi Channabasaveshwara Nilaya, 5th Cross, Vinyaka Colony, Vidyanagar, Behind Police Station, **HUBLI.** Sri. Mahendra Laddada, Hon Secretary, Karnataka Vanijyodyama Samste, J.C. Nagar, **HUBLI -20.** Sri. Chandrashekar Manigappa Minajigi, 1st Flat, Sliver Park, Rajajinagar, Devanga Pete Road, **HUBLI.** Sri. Srikanth.G.Ketur, Hotel Ajanta, J.C.Road, **HUBLI.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri. G.S. Kariannanavar, General Secretary, Dharwad Taluk General Establishment Employees Union, Jayanagar, Janatha College Road, **DHARWAD.** Sri. Mallesh, Vanijya Savnur, LIG-42, Navanagar, **HUBLI-25.** Sri. J.D.Goandakar, General Secretary, CITU Dn. Kappana Gudi, **HUBLI.** Sri. Shabir Ahmed A. Udhola, Dharwad Jilla Beedi Workers Union, Maddur Honi, **OLD HUBLI.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager, Branch Office, ESI Corporation, **HUBLI**	Member/ Secretary

By Order

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No 53/V/34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for KOLAR area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – KOLAR AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Deputy Labour Commissioner, Region-2, **Bangalore**	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, **Kolar**	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Insurance Medical Officer, ESID, BEML, **KGF**	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. Gangadhar, Manager (IIR), B.E.M.L, **K.G.F.** Sri.B.V.Nagaraju, Manager, Jayanthi Domestic Products Pvt. Ltd. Maskam, Andersonpet, **K.G.F.** Sri.D.Karunakaran, Office Manager, Rasmetals Industrial Estate, Maskanda, Andersonpet, **K.G.F.** Sri.M.A.Yesudas, Manager, Ex Service Association, Contractor, B.E.M.L., **K.G.F.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri.R.Sathyamurthy, President, B.E.M.L. Employees Association, B.E.M.L., **K.G.F.** Sri.S.Anbaravar, General Secretary, B.E.M.L., Contractor Labour Association, B.E.M.L., **K.G.F.** Sri.S.N.Gumaste,Treasurer, B.E.M.L. Employees Association, B.E M.L., **K.G.F.** Sri.P.Parashurama murthy, President, B.E.M.L. Contract Workers Union, B.E.M.L., **K.G.F.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager,Branch Office,ESI Corporation,**K.G.F**	Member/ Secretary

By Order

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No 53/V/34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for MYSORE area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – MYSORE AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Assistant Labour Commissioner, Mysore.	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, Mysore.	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Medical Superintendent, ESIH, Mysore.	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. Shivakumar Patil, Personnel Manager,Vikrant Tyres Ltd., K.R.S.Road, **MYSORE.** Sri. Ramakrishnaiah, No.1/70B, RBI Colony, Soja Mudrana Nagar, Metagalli, **MYSORE.** Sri. Swamygowda. H.K.,Senior Officer, C & P, Gorika Aluminium Ltd.,**MYSORE.** Sri.N.G.Ramagopal, Director, Sadvaidya Shala (P) Ltd., **NANJANGUD.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri Lokesh, General Secretary, Bharatiya Mazdur Union, Kalyan Bhavan Building, No.17, Thyagaraj Road, **MYSORE.** Sri. Mohankumar, Secretary, CITU, No.505, 2nd Floor, K.S.Agrahara, **MYSORE.** Sri. H.Gronsoline, Crake Union, No.40, 2nd Cross, 2nd Phase, Gayathripuram, **MYSORE.** Sri. S.R Somasundaram, Vice-President, ABEUC, 1st Cross, No.20682, Medara Keri, Manandawadi Road, K.R.Moholla **MYSORE.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager,Branch Office-Subhashnagar,ESI Corporation, **MYSORE.**	Member/ Secretary

By Order

N. Parasuraman

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

No.53 \' 34/14/11/99/Bfts.II:- It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been re-constituted for TUMKUR area under Regulation-10A of the ESI (General) Regulations, 1950 for a term of 3 years from the date of notification.

LOCAL COMMITTEE – TUMKUR AREA

1)	**UNDER REGULATION 10-A(1)(a)** Assistant Labour Commissioner, Bangalore Dn.-1	Chairman
2)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(b)** Labour Officer, Tumkur.	Member
3)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(c)** Insurance Medical Officer, ESID, Tumkur.	Member
4)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(d) Employers' Representatives:** Sri. R.G.Nagendra (HRD),Manager, M/s. STT Granites India Ltd., No.23/24, Antaranahalli Industrial Estate, **TUMKUR.** Sri. Manjunath (HRD), Assistant Manager, M/s.Car Mobiles Ltd., Hirehalli Industrial Estate, **TUMKUR.** Sri. K.Ratnakar (H.R.D.), Manager, M/s.Wipro Pvt. Ltd., Antaranahalli Industrial Estate, **TUMKUR.** Sri. M.C.Maralusidda (H.R.D), Manager, M/s TVS Electronics Pvt. Ltd., Hirehalli Industrial Estate, **TUMKUR.**	Member Member Member Member
5)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(e) Employees' Representatives:** Sri. Kandegowda,General Secretary, C/o. M/s. Car Mobiles Employees Union,AITUC, Hirehalli Industrial Estate, **TUMKUR.** Sri. K.R.Nayak, President,Tumkur District Technical Institutes & Industries Employees Association, M.G.Road, **TUMKUR.** Sri. Syed Mujeeb, President,Tumkur District Beedi Workers Union, (CITU), Nazarabad, **TUMKUR.** Sri. R.C. Henjarappa,Vice President,M/s. Wipro Employees Union, Antarasanahalli Industrial Estate,**TUMKUR.**	Member Member Member Member
6)	**UNDER REGULATION 10-A (1)(f)** The Branch Manager,Branch Office,ESI Corporation,**TUMKUR**	Member/ Secretary

By Order

N. Parasu

(N.PARASURAMAN)
REGIONAL DIRECTOR

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

New Delhi, the 19th October 2004

No. CWC/III-45/EDC-2004/B&C

In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the Director duly elected on 16.10.2004 for a period of two years w.e.f. 16.10.2004 (A.N.) from the class of shareholders specified in clause (e) of the Sub-Section 1 of Section 7 of Warehousing Corporation Act, 1962 is notified as under:-

CLASS OF SHAREHOLDERS	NAME & ADDRESS OF THE ELECTED DIRECTOR
COOPERATIVE SOCIETIES	SHRI VIRENDER SINGH, THE WEST SUBARBN GROCERS COOP. SOCIETY LTD., A-3, LIBERTY SHOPPING, 10-C HILL ROAD COMPLEX, BANDRA, MUMBAI – 400 050.

(S.C.BATRA)
SECRETARY
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

EMPLOYES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 4th November 2004

No. CPFC-1(4) 2140/04/JH/27481.—

S.O. whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	JH/11035	M/s Pratap Shoes	01 02 2003	01 02 2003
2.	JH/10989	M/s Drilltech	01.10.2002	01.10.2002
3.	JH/11160	M/s Wool House	01.06.2003	01.06.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[S.R.Joshi]
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

No. CPFC-1(4) 2139/04/AS/27481.—

S.O whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following es' blishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	AS/5405	M/s T.I. Trade	01.07.2004	01.07.2004
2.	AS/5030	M/s B.T. Enterprise	01.02.2003	29.01.2003
3.	AS/5133	M/s Sikha	01.06.2003	01.06.2003
4.	AS/5402	M/s Enviro Teshing Services	01.06.2004	31.05.2004
5.	AS/5093	M/s J.J. Associates	15.04.2003	03.04.2003
6.	AS/5311	M/s Rajdhani Tele Products	07.01.2004	07.01.2004
7.	AS/5367	M/s Swiss Watch Corporation	17.05.2004	17.05.2004
8	AS/5389	M/s S.T. Electricals	01.06.2004	01.06.2004
9.	AS/5390	M/s LBS Publications	01.06.2004	01.06.2004

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[S.R.Joshi]
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

No. CPFC-1(4) 2141/04/AP/JH/27481.-

S.O. whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	AP/GNT/33891	M/s The Ardhaveedu PACS Ltd.	15.12.2000	15.12.2000
2.	AP/42382	M/s Kalyani Industrial Enterprises	12.04.2002	12.04.2002
3.	AP/42348	M/s PA C.C.S. Ltd.	15.12.2001	15.12.2001
4.	AP/42445	M/s The P.A.C.C.S. Ltd.	01.08.2002	15.12.2001
5	AP/42381	M/s Pragathi Vidaya Niketan	01.09.2001	01.09.2001
6	AP/42385	M/s M.S. Vulcanizers & Cont.	06.02.2002	06.02.2002
7.	AP/42523	M/s Harijana Labour Cont. Co-op Society Ltd.	15.12.2002	15.12.2002
8.	AP/42350	M/s PAC C S Ltd	01.07.2001	01.07.2001
9.	AP/42380	M/s G.S.R. Constructions	11.04.2002	11.04.2002
10	AP/42347	M/s The PACCS Ltd.	15.12.2001	15.12.2001
11.	AP/42555	M/s Coal Makers	11.04.2003	11.04.2003
12.	AP/44642	M/s Yellammam Waddera Labour Cont. Co-op Society Ltd.	05.03.2004	05.03.2004
13.	AP/42386	M/s Ray Engineering Enterprises	01.03.2002	01.03.2002
14.	AP/42489	M/s PACCS Ltd.	14.09.2002	14.09.2002
15.	AP/43808	M/s Swarna Taollway Pvt. Ltd.	01.04.2003	28.03.2003
16.	AP/42993	M/s Electricity Department Co-op Credit Society Ltd.	12.08.2002	12.08.2002
17.	AP/39117	M/s Innosoft Technologies Ltd.	22.02.2001	22.02.2001
18.	AP/38229	M/s D.A. Stuart Company	19.06.2000	19.06.2000
19	AP/39148	M/s Emerging Solutions Pvt. Ltd.	10.02.2001	10.02.2001
20.	JH/11072	M/s Mathew Enterprises	01.01.2003	01.01.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[S.R.Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

No. CPFC-1(4) 2142/04/RJ/JH/OR/AS.—

S.O. whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	RJ/8688	M/s Madhyamic Adarsh Vidiya Mandir	30 4 2004	30 4 2004
2.	RJ/7602	M/s Ryan International School	1.12.2003	1.12.2003
3.	RJ/13403	M/s Seedling Nursery School	1.5.2004	1.5.2004
4.	RJ/8601	M/s Mahover Public School	22.4.2004	22.4.2004
5.	RJ/5587	M/s Sahitya Sadavant Kanya Sr. VCHCH Madhyamik Vidyalaye	1.5.2004	1.5.2004
6.	JH/10538	M/s International Electrical	01.08.98	01.08.98
7.	JH/10537	M/s Twinkle Enterprises	10.08.98	10.08.98
8.	RJ/13358	M/s Mahashwari Girls Public School	01.08.04	01.08.04
9.	RJ/10562	M/s Balas Kari Vikran Sahkari Senrti Ltd.	01.03.2004	01.03.2004
10.	OR/6735	M/s Saraswati Shishu	19.12.2003	6.11.2003
11.	AS/5446	M/s Lida Steel Fabrication	1.6.2004	1.6.2004
12.	AS/3906	M/s Pamey Come & Wooden Furniture	01.05.2002	01.05.2002
13.	AS/5125	M/s Assam Kinergy Devi Agency	01.06.2003	28.05.2003
14.	AS/5425	M/s Sekmai Kerosene Agency	01.08.2004	01.07.2004

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[S.R.Joshi]
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

No. CPFC-1(4) 2145/04//AP/27481.—

S.O. whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	AP/40231	M/s V.V. Raghavaiah Civil Contractor	01.09.2003	26.08.2003
2.	AP/40380	M/s A. Narasimha Reddy Const.	22.12.2003	22.12.2003
3.	AP/40325	M/s P. Purushatham Contractor	01.10.2003	27.09.2003
4.	AP/25569	M/s D.R.D.A.	01.01.1993	01.01.1993
5.	AP/40367	M/s Sai Charan Associates	01.01.2004	01.01.2004
6	AP/41958	M/s N.C.L. Energy Ltd.	19.06.2001	19.06.2001
7.	AP/37418	M/s The Metro City Criminal Courts Employees Mulvally Aided Co-op Credit Socicty	01.04.2000	16.03.2000
8.	AP/40352	M/s Sameswararao Ligar Co.	07.10.2003	07.10.2003
9.	AP/40381	M/s Universal Civil and Communication Works	29.12.2003	29.12.2003
10.	AP/37669	M/s Poornima Fragvances Pvt. Ltd.	12.06.2000	12.06.2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

[S.R.Joshi]
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 2nd November 2004

No. 13-CA (EXAM)/ISA/D/2004: - In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA (7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on **24th December, 2004 from 8.00 am to 12.00 noon** at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre which are divided into two categories as detailed below.

EXAMINATION CENTRES:

CATEGORY – I

(Centres at which ISA AT would be held)

1. Agra	14. Indore	27. Panipat
2. Ahmedabad	15. Jaipur	28. Patna
3. Amritsar	16. Jalgaon	29. Pune
4. Bangalore	17. Jammu	30. Raipur
5. Bhubaneswar	18. Kanpur	31. Rourkela
6. Chandigarh	19. Kolkata	32. Salem
7. Chennai	20. Lucknow	33. Surat
8. Coimbatore	21. Ludhiana	34. Udaipur
9. Cuttack	22. Madurai	35. Varanasi
10. Ernakulam	23. Mumbai	36. Vijayawada
11. Ghaziabad	24. Nagpur	37. Visakhapatnam
12. Guwahati	25. New Delhi	38 .Yamunanagar
13. Hyderabad	26. Noida	

CATEGORY – II

(Centres at which ISA AT would be held subject to a minimum of 25 candidates opting to appear from these centres)

1 Bhavnagar	4 Khurushetra	7 Sri Ganganagar
2 Durgapur	5 Navsari	
3 Gorakhpur	6 Roorkee	

The candidates who opt for a centre mentioned under category – II would be required to give one or two alternate centres in order of preference from centres mentioned under Category I. In the event of a minimum of 25 candidates not opting for a centre mentioned under Category II, candidates who had opted for the said centre would be allotted to the centre of their choice in order of preference in Category I as mentioned in their application form. If any candidate who has opted for a centre in

Category II has not given his option for any alternate centre in Category I, he will be allotted to any of the nearest centre in Category I as per the discretion of the Institute.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Exams) - CC at New Delhi on or before 1st December 2004.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Exams) – CC, The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. **The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from 11th November 2004. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz.** www.icai.org **and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 1st December 2004.** The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.) –CC, New Delhi. The applications received after 1st December 2004 will not be entertained under any circumstances.

(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.) – CC

MINISTRY OF DEFENCE
CANTONMENT BOARD
Deolali, the 11th November 2004

S.R.O.No. 646 / ADM / E-1/ _____ 2004 WHEREAS a notice of certain draft proposal for imposing a Vehicle Entry Tax on entry of vehicles within the limits of Deolali Cantonment was published on the 18th August, 2004 by affixing a copy thereof in a conspicuous part of the Cantonment Board, Deolali and published in daily local newspapers as required under section 61 read with section 255 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from public on the said draft proposal were duly considered by the Cantonment Board;

AND WHEREAS, the Central Government have duly authorized the Cantonment Board, Deolali to impose the aforesaid tax in its original form as required under section 63 of the said Act;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Deolali hereby imposes with the previous sanction of the Central Government a tax to be known as the Vehicle Entry Tax on commercial loaded vehicles entering and passing through the limits of Deolali Cantonment, payable by the owner of the vehicle or the person in-charge of the vehicle at the rates specified in the Schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Sl.No. (1)	Type of Vehicle (2)	Rate of tax (3)
1.	Motor Bus carrying passenger on hire .	Rs 15/-
2.	Trucks for carrying goods	Rs. 15/-
3.	Advertisement Car/ Jeep/ Three wheeler	Rs. 10/-
4.	Tractor with trailer for carrying goods	Rs. 05/-
5.	Three wheeler Auto Rikshaw Tempo carrying goods	Rs 05/-

Provided that for the second and the subsequent entries of the vehicles in the Cantonment limits of the Deolali Cantonment on a single day, tax shall be payable at half of the rate on production of the entry pass issued at the time of first entry.

Provided further that no tax shall be levied on the following vehicles, namely:-

1. Vehicles belonging to Central or State Government.
2. Vehicles belonging to Cantonment Board, Deolali.
3. Vehicles belonging to Nashik Municipal Corporation and Bhagur Municipality
4. Ambulances for carrying patients.
5. Vehicles for carrying solely funeral parties.
6. State Transport Buses of Maharashtra Government.
7. Vehicles deployed for election duty.
8. Tractors of agriculturists used solely for agricultural purposes.
9. Buses carrying school students.
10. Vehicles belonging to persons and property exempted under section 3 of the Indian Tolls (Army and Airport Act, 1901 (2 of 1901).

File No. 646/ADM/E-1/ :2004

CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
DEOLALI
(NF HUSAIN)

DELHI CANTONMENT BOARD

New Delhi, the 5th November 2004

SRO NO. 289 A Whereas a draft of public containing certain draft proposals relating to the imposition of tax on all advertisements in the Delhi Cantonment Board was published vide public notice No. DCB/26/T/REV/ADV TAX dated 4th April,2003 as required by section 61 read with section 255 of the Cantonments Act,1924 (2 of 1924) (hereinafter referred to as the said Act) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date of publication of the said notice.

And whereas the said notice was affixed on the Notice Board of the Delhi Cantonment Board on the 4th April,2003;

And, whereas no objections or suggestion has been received from the public on the said draft proposal before the period aforesaid ;

And, whereas the Central Government has authorised the Delhi Cantonment Board to impose the tax aforesaid in the original form as required under section 63 of the said Act ;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by section 60 of the said Act and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence vide SRO No. 289 dated 16.8.1965, published in the Gazette of India, Part II section 4, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Delhi Cantonment Board, with the previous sanction of the Central Government hereby imposes tax on all advertisements other than those published in newspapers, payable on every advertisement by the person who erects, exhibits of fixes an advertisement upon any land, building, wall hoardings, structures or vehicles or who displays any advertisement to the public view in any manner whatsoever in any place whether public or private within the limits of Delhi Cantonment at the rates specified in the Schedule below , namely :-

SCHEDULE

S.NO.	Particulars	Rate per annum
1.	Non-illuminated advertisement on hoarding on Cantonment land or Government land or on Private land.	
a)	For a space upto 2.32 Square metres.	Rs. 45/-
b)	For a space over 2.32 Square metres. Upto 9.30 Square metres	Rs. 90/-

	c)	For every additional 2.32 Square metres Or less over 9.30 Square metres.	Rs. 45/-
2.	Non-illuminated advertisements carried on vehicle drawn by bullocks, horse or other animals cycles or vehicles drawn by mechanical means.		
	a)	For a space upto 2.32 Square metres	Rs. 90/-
	b)	For a space over 2.32 Square metres.	Rs. 180/-
	c)	For every additional 2.32 Square metres less over 9.30 Square metres	Rs. 90/-
3.	Non- illuminated advertisements carried by Sandwitch boardman.		
	a)	For a space upto 0.92 Square metres	Rs. 20/-
	b)	For a space over 0.92 Square metres upto 2.32 Square metres.	Rs. 75/-
4.	Advertisement on screen through slides Lantern etc. in public places.		
	a)	For a space up to 2.32 Square metres.	Rs. 80/-
	b)	For a space over 2.32 Square metres and upto 9.30 Sqmts	Rs. 240/-
5.	Non-illuminated advertisement Boards on Shops or business premises (excluding name board)		
	a)	For a space upto 2.32 Square metres.	Rs. 100/-
	b)	For a space over 2.32 Square metres upto 9.30 Square metres.	Rs. 440/-
	c)	For every additional 0.32 Square metres or less over 9.30 Square metres.	Rs.960/-
6.	Non-illuminated advertisement on khokha/ Stalls put –upon Cantonment land/Government land or on private land.		
	a)	For a space upto 2.32 Square metres.	Rs. 250/-

	b) For a space over 2.32 Sqmt and upto 9.30 Square metres.	Rs. 960/-
7.	Advertisement slides shown in Cinema show.	Rs. 10/- per slide per month or part of month.
8.	Illuminated advertisement boards put up on Cantonment Land or Government land or private land shops or business premises excluding name boards at double the rate shown above for non-illuminated advertisement boards.	
9.	Advertisement on Cantonment notice boards	
	a) Below 457 milli metre x 610 mill metre	Rs. 10/- per publication of 24 posters.
	b) Over 457 milli metre x 610 mill metre	Rs. 15/- per publication of 24 posters
10.	Advertisement singing parties.	Rs. 40/- per month or part of the month.

(**Meena B Sharma**)
Cantonment Executive Officer
Delhi Cantonment

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004